बिजली चोर मामलों में स्पेशल कोर्ट्स का बड़ा फैसला

यमुना विहार के उद्योगपति पर 3.6 करोड़ का जुर्माना, दो साल की जेल
सैनिक फार्म्स निवासी को 1 साल की सश्रम जेल, 5.5 लाख जुर्माना

नई दिल्लीः 26 अप्रैल, 2018। कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने यमुना विहार निवासी उद्योगपति प्रेम प्रकाश शर्मा को बिजली चोरी के जुर्म में 3.6 करोड़ रूपये का जुर्माना किया है। साथ ही, उन्हें दो साल की जेल की सजा भी सुनाई गई है। उधर, साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने भी साउथ दिल्ली के पॉश इलाके सैनिक फार्म्स में रहने वाले एक व्यक्ति को बिजली चोरी के जुर्म में 1 साल की सश्रम कैद और 5.5 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

उद्योगपति की सजा में नरमी बरतने से इनकार करते हुए कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि रेकॉर्ड से यह साफ है कि दोषी व्यक्ति द्वारा जो औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं, वे खतरनाक प्रकृति की थीं। इनसे हवा और पानी, दोनों प्रदूषित हो रहे थे। कोर्ट के मुताबिक, दोषी व्यक्ति ऐसे इलाके में उद्योग चला रहा था, जो औद्योगिक क्षेत्र नहीं था, और वह भी भारी मात्रा में 141.138 किलोवॉट की चोरी की बिजली से। इसलिए, इसमें नरमी बरतने का कोई कारण नहीं।

आवासीय इलाकों में अवैध रूप से चलाई जा रही औद्योगिक इकाइयों पर कड़ा रूख अपनाते हुए स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि ऐसे मामले बार–बार सामने आए हैं, जिनमें मंडोली, शिव विहार, माया पुरी, यमुना विहार, वजीरपुर, आदि इलाकों में बिना लाइसेंस के छोटे उद्योग चल रहे हैं। जज ने कहा कि नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में बिना कोई नोटिस दिए, ऐसे उद्योगों की बिजली काटना वक्त की जरूरत है। ऐसी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

स्पेशल कोर्ट द्वारा उद्योगपति पर किए गए 3.6 करोड़ रूपये के जुर्माने में फाइन व सिविल लायबिलिटी, दोनों शामिल हैं।

क्या था पूरा मामला

2009 में दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के साथ मिलकर बीएसईएस की जांच टीम ने यमुना विहार की एक औद्योगिक इकाई में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी पकड़ी थी। वहां पर 141 किलोवॉट`की बिजली चोरी हो रही थी, जिसमें 137 केलोवॉट बिजली का इस्तेमाल औद्योगिक लोड के लिए हो रहा था और 4 किलोवॉट बिजली का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए। नियमों के मुताबिक आरोपी पर 1.47 करोड़ रूपये का जुर्माना किया गया और भजनपुरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। पुलिस के आईओ यानी जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने के बाद, आरोपी प्रेम प्रकाश शर्मा उर्फ कालू पंडित के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

पॉश सैनिक फार्म्स निवासी को भी जेल व जुर्माने की सजा

सैनिक फार्म्स गौतम गार्डन के एक निवासी को साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली की चोरी का दोषी करार दिया है। उन्हें 2005 में 17.8 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था। वह बीएसईएस की लाइनों पर कटिया डालकर घरेलू उद्देश्यों के लिए बिजली की चोरी कर रहे थे। कोर्ट में जिरह के दौरान

आरोपी और उसकी लीगल टीम ने अपने पक्ष में कई दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट के सामने कोई भी दलील काम नहीं आई।

कोर्ट ने अपने आदेश में दोषी व्यक्ति को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5.5 लाख रूपये का जुर्माना भी किया, जिसमें फाइन और सिविल लायबिलिटी, दोनों शामिल हैं। कोर्ट ने कहाः फाइन की रकम का भुगतान न करने पर दोषी व्यक्ति को और छह महीने की साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी।

बीएसईएस ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे वैध तरीके से बिजली का उपयोग करें और किसी भी रूप में बिजली की चोरी न करें। इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 135 के तहत, यह एक दंडणीय अपराध है। बिजली चोरी करने करने वालों को भारी जुर्माना तथा पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

.....